उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

F18433

संदर्भ संख्या ...... [illegible]/370/03 दिनांक 17-7-03

सेवा में,

मैं० मेडी केयर इन्सिन प्रा० लि०,
सी-२१, मसूरी गुलावटी रोड औ० क्षेत्र,
गाज़ियाबाद।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से / नई इकाई की स्थापना हेतु / कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार / संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक [illegible] का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

   (क) स्थल : मैसर्स मेडी केयर इन्सिन प्रा० लि०,
   सी-२-२१, मसूरी गुलावटी औ० क्षेत्र,
   गाज़ियाबाद।

   (ख) उत्पादन : बायो मेडिकल वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकिल कर
   प्लास्टिक कन्टेनर्स का उत्पादन मात्रा २०० कि०ग्रा०/[illegible]

(7)

(ग) मुख्य कच्चे माल :

बायो मेडिकल प्लास्टिक वेस्ट

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :

शून्य

(ङ.) प्रयुक्त ईंधन :

डीजल १०० ली०/घन्टा

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें। उद्योग में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट को कामन फैसलिटी सेन्टर के सचालन के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन योजना बोर्ड में जमा करें तथा बोर्ड से उक्त हेतु पृथक से अनुमति प्राप्त प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ......३ कि०ली०/दिन...... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक .... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७. उद्योग प्रस्तावानुसार उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण करें तथा प्रस्तावानुसार उत्प्रवाह रिसाइकिल व्यवस्था स्थापित करें।

८. उद्योग द्वारा उत्सर्जन नियंत्रण हेतु स्क्रबरिंग व्यवस्था प्रस्तावानुसार किया जाये तथा स्क्राब जल को पुनः उत्प्रवाह शुद्धिकरण व्यवस्था के माध्यम से ही निस्तारित किया जाये। तथा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं हेतु अलग से विद्युत मीटर लगाया जाये।

९. उद्योग उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र के स्लज के अस्थाई भण्डारण हेतु पक्के लाइण्ड पिट का निमार्ण कर तथा निस्तारण किसी प्राधिकरण के आदेशानुसार ही किया जायेगा.

१०. उत्प्रवाह के अंतिम छोर पर टर्मिनल मेन होल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। टर्मिनल मेन होल ऊपर से ढके ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, उपयुक्त साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कंक्रीट के चैम्बर होने चाहिए।

११. बायो मेडकल वेस्ट (प्रबन्ध व हथालन) नियम १९९८ एवं दि रिसाइकिल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एन्ड यूजेज रूलस १९९९ के प्राविधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें।

१२. प्लास्टिक प्रोडक्टस पर स्पष्ट रूप से मारकिंग की जायेगी कि उक्त प्रोडेक्ट बायो मेडिकल वेस्ट के रिसाइकिलग से बनाया गया है तथा उक्त का प्रयोग खाद्य पदार्थ भण्डारण के लिए नहीं किया जायेगा।

१३. उत्पादित प्लास्टिक प्रोडेक्टस हेतु दि रिसाकिल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एन्ड यूजेज रूलस १९९९ के विभिन्न प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

१४. उद्योग परिसर में उपलब्ध अधिकतम रिक्त स्थल पर हरित पट्टिका स्थापित करें।

उपरोक्त अंकित शर्तें सं० ३,७,८,९,१०,११ संवेदनशील श्रेणी की है तथा उक्त शर्तों का अनुपालन निर्धारित समयावधि में नहीं किये जाने की परिस्थिति में उद्योग द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी सं० ००८ बी१/९०३ दिनांक १५/६/०३ धनराशि १८,९००/- जब्त की जा सकती है।

न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक .... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र : गाजियाबाद ....

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड .... गाजियाबाद ....

4. ....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल–)